टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 12(17)एलसी/2008/पी- III/310 दिनांक 24/01/2024

आदेश

1. चूँकि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के अलावा, सभी चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा अनिवार्य अनुपालन हेतु हरी चाय की पत्तियों को तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाले ऋतु के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स सहित उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा प्रसंस्करण की अंतिम तिथि के संबंध में टी बोर्ड के अनुज्ञापन एवं पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 को एक आदेश संदर्भ सं. 12(17)एलसी/2008/भाग- III/803 जारी किया गया था।

2. चूँकि चाय की पत्तियों की तुड़ाई और चाय का निर्माण अगले फसल ऋतु, वर्ष 2024 से शुरू करना होगा, जब चाय की झाड़ियों की शीतकालीन निष्क्रियता समाप्त हो जाएगी और चाय की झाड़ियाँ नए सिरे से चाय की पत्ती/अंकुरित कलियों का उत्पादन शुरू कर देंगी।

3. चूँकि, चाय झाड़ियों के प्राकृतिक फसल पैटर्न के अनुसार वर्तमान फसल ऋतु में चाय उत्पादन को शुरू करने की उपयुक्त समयसीमा निर्धारित करने के लिए उद्योग हितधारक, वैज्ञानिक संस्थान से सुझाव/प्रतिक्रियाएं सुनी/प्राप्त की गई हैं।

4. अतः, ऊपर उल्लिखित आदेश क्रमांक सं. 1की निरंतरता में, डुआर्स, तराई, बिहार, सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों के सभी चाय निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा अनिवार्य अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

क्र.सं.	विवरण	रोपण क्षेत्र	कार्यान्वयन की तिथि
1	वर्ष 2024 के लिए चाय निर्माण प्रारंभ करने के लिए सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्तियों को तोड़ने/प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि	डुआर्स, तराई और बिहार	12/02/2024 (सोमवार)
2		दार्जिलिंग हिल्स और सिक्किम	01/03/2024 (शुक्रवार)
3		हिमाचल प्रदेश	08/03/2024 (शुक्रवार)
4		उत्तराखंड	08/03/2024 (शुक्रवार)

5. जिन बागवानों ने पारंपरिक पद्धति के अलावा प्रूनिंग/अन्य खेती पद्धतियों को अपनाया है और केवल पूर्व फसल/साथ ही आर्थेडॉक्स, हरी और विशेष चाय के निर्माता, बोर्ड के संबंधित कार्यालय से छूट मांग सकते हैं।

6. बोर्ड के मुख्यालय को उचित फ़ील्ड सत्यापन और सूचना देने के बाद, सहायक निदेशक चाय विकास पद के अधिकारी, मांगी गई छूट, यदि कोई हो, जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ऐसी छूट जारी करते समय, धिकारी, प्रूनिंग प्रथाओं, सिंचाई सुविधाओं, शुरुआती बारिश को ध्यान में रखेंगे जिससे शीघ्र निस्तब्धता और निस्तब्धता पैटर्न हो सकता है।

सौरभ पाहाड़ी
उपाध्यक्ष 24/1/24.
टी बोर्ड एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी

वितरण:

1.	संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ	सूचनार्थ एवं सख्त अनुपालन हेतु सदस्यों के बीच परिसंचरण
2.	संबंधित क्षेत्र के सभी पत्ती क्रय चाय उत्पादक संघ	
3.	संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
4.	टी बोर्ड सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और पालमपुर के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	सभी हितधारकों के बीच परिसंचरण एवं आदेश के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करें
5.	चाय विकास निदेशक, टी बोर्ड	सूचनार्थ
6.	सिस्टम विश्लेषक, टी बोर्ड	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु